

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग  
क्रमांक : प.34(1) चिस्वा/ग्रुप-2/2012

539  
27 JUN 2012  
D.M. & H.S. (A) (RCH)

दिनांक : 26/6/12

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2012-2013 की बिन्दु संख्या 45.0 एवं 45.1 की क्रियाचिन्ति हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) का गठन करने के संदर्भ में वित्त विभाग एवं आयोजना वित्त विभाग की सहमति के आधार पर आनुसार पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Medical & Health Services  
No. 25676 (A)  
Date: 4/7/12  
D.M. & H.S. (A)  
RCH  
POPNDT Cell, Jaipur

आयु प्रकोष्ठ हेतु पद-

आयोजना बजट शीर्ष 2211-00-001-(02)-[00]

पद का नाम	पदों की संख्या	मूल वेतन	ग्रेड-पे
1. परियोजना निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी (आरएएस वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	01	15600-39100	6600
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (उप निदेशक-पीसीपीएनडीटी)	01	15600-39100	6600
3. जन सम्पर्क अधिकारी (For intensive IEC)	01	9300-34800	4200
4. मेडिकल ऑफिसर (पीसीपीएनडीटी)	01	15600-39100	5400
5. पुलिस निरीक्षक (स्टॉफ ऑफिसर कम रीडर)	01	9300-34800	4200
6. सहायक निदेशक अभियोजन विधि सहायक (अभियोजन सहायक)	01	15600-39100	6000
7. पुलिस निरीक्षक (पुलिस ऑफिसर)	01	9300-34800	3200
8. हेड कान्सटेबल	04	9300-34800	4200
9. कान्सटेबल	01	5200-20200	2000
10. सूचना सहायक (आई.टी. सहायक)	04	5200-20200	1900
11. कनिष्ठ लिपिक	01	5200-20200	2400
योग - A	01	5200-20200	1900
	18		

(B) प्रत्येक जिला प्रकोष्ठ हेतु पद- आयोजना बजट शीर्ष 2211-00-196-(01)-[01]

क. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मूल वेतन	ग्रेड-पे
1.	विधि सहायक (अभियोजन सहायक) (प्रत्येक जिले के लिये एक)	34	9300-34800	3200
2.	पुलिस निरीक्षक (पुलिस ऑफिसर) (प्रत्येक जिले के लिये एक)	34	9300-34800	4200
3.	कनिष्ठ लिपिक (प्रत्येक जिले के लिये एक)	34	5200-20200	1900
योग - B		102		
महायोग A+B		120		

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. विभाग द्वारा प्रस्तावित पदों को विशेष चयन/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जाना प्रस्तावित किया है। विशेष चयन से संबंधित सेवा नियमों का परीक्षण/सहमति कार्मिक विभाग, विधि विभाग एवं वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। अतः विभाग, विशेष चयन के नियमों का प्रस्ताव एवं परीक्षा आदि का परीक्षण संबंधित विभागों से कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. विभाग प्रस्तावित नोटिफिकेशन का परीक्षण एवं सहमति गृह विभाग से प्राप्त करावें।
3. विभाग प्रस्ताव के संदर्भ में आयोजना विभाग की सहमति अपने स्तर पर प्राप्त कराना सुनिश्चित करावें।

इन पदों पर होना वाला व्यय उपरोक्तानुसार आयोजना बजट शीर्ष के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 101201860 दिनांक 28.05.2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से

(सुनील कुमार शर्मा)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, (पुलिस) गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. उप शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. उप शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक (प0क0) / निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव